

Order No:-331L/2021-22



केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु०)  
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016  
**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)**  
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.  
Tel.: 011-2695168, 8860748880  
Email- mpquota@kvs.gov.in  
Website: www.kvsangathan.nic.in

File No: 11-PUB0GEN/3/2021-Publication/Spl.Disp./MP

दिनांक-09.07.2021

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Shri Ritesh Pandey** के द्वारा के०वि०सं कूपन संख्या. **456** के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2021-22 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	शौर्य प्रताप सिंह	श्री अरविंद सिंह Mob: 7007664655	1	FAIZABAD CANTT.
2	काजी जीशान	श्री काजी तनवीर Mob: 9839795406	5	FAIZABAD CANTT.
3	साक्षी यादव	श्री अनीता यादव Mob: 9450931796	1	FAIZABAD CANTT.
4	सूर्याश त्रिपाठी	श्रीमती अनुराधा त्रिपाठी Mob: 7651840749	6	FAIZABAD CANTT.
5	मानहा फातमा	श्री फैजुनल्लाह Mob: 9598907273	6	FAIZABAD CANTT.
6	उत्कर्ष प्रताप सिंह	विजय लक्ष्मी सिंह Mob: 9415159134	9	FAIZABAD CANTT.
7	वृषा राम	श्री मनोज राम Mob: 9695243553	9	FAIZABAD CANTT.
8	अनन्या पाण्डेय	श्री विवेक पाण्डेय Mob: 6387823644	3	FAIZABAD CANTT.
9	देव तिवारी	श्री राजेंद्र तिवारी Mob: 9415221866	7	FAIZABAD CANTT.
10	विभा राव	श्री प्रवेश कुमार Mob: 9140814136	6	FAIZABAD CANTT.

कृ० पू० उ०  
दि. 09/07/21


निर्देश:-

(i) विद्यार्थी, अन्यथा के० वि० सं० की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2021-22 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।

(ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी।

(iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

(iv) प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2021 है।



(पिया ठाकुर)  
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:-

1. Shri Ritesh Pandey माननीय संसद सदस्य को ई० मेल से सादर सूचनार्थी।
2. उपायुक्त, केविसं, **LUCKNOW** संभाग को सूचनार्थी। (ई० मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु। (ई० मेल)